



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 11.04.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 301/2024 धारा 429/269/270 भादवि, 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम व 3/4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 अवैध चापड़, 02 अवैध छुरी व 01 सुम्भी, दो अवैध चाकू व 02 अवैध तमंचे मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 301/2024 धारा 429/269/270 भादवि, 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम व 3/4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध चापड़, 02 अवैध छुरी व 01 सुम्भी, दो अवैध चाकू व 02 अवैध तमंचे मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुए हैं ।



उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-शाद पुत्र जमशेद निवासी पुराना कस्बा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-सलमान पुत्र उस्मान निवासी पुराना कस्बा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-जुनैद पुत्र कल्लू निवासी पुराना कस्बा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4-शहजाद पुत्र हबीब निवासी पुराना कस्बा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 02 अवैध चापड़, 02 अवैध छुरी, 01 सुम्भी व दो अवैध चाकू ।
- 02 अवैध तमंचे मय 02 जिन्दा कारतूस ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री नकुल राठी थाना कोतवाली बागपत ।
- 3-है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 4-है0का0 214 उमेश कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 5-है0का0 339 राकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 6-का0 369 विशाल पंवार थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक 11.04.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 252/24 धारा 323/352/504/427 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध चाकू बरामद ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 10.04.2024 को थाना बडौत पर वादी अमित पुत्र श्री राजेन्द्र निवासी कस्बा बडौत थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त विकास पुत्र विरेन्द्र निवासी ग्राम मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा उसकी दुकान पर आकर उसके साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गयी व उसके ऊपर चाकू से हमला किया तथा दुकान में रखे सामान को क्षतिग्रस्त किया । वादी व जनता द्वारा



अभियुक्त को पकड़कर थाना बडौत पर लाया गया तथा थाना बडौत पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध चाकू बरामद हुआ । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 252/24 धारा 323/352/504/427 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विकास पुत्र विरेन्द्र निवासी ग्राम मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-है0का0 576 इमरेश रावत थाना बडौत ।
- 2-कम्प्यूटर ऑपरेटर अनुज कुमार थाना बडौत ।



प्रेस नोट
थाना खेकडा

दिनांक 11.04.2024

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 107/2024 धारा 376/511 भादवि व 10/12 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 107/2024 धारा 376/511 भादवि व 10/12 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1-बिलाल पुत्र मंगू निवासी खट्टा प्रहलादपुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सुखपाल सिंह थाना खेकडा ।

2-का0 24 तरुण कुमार थाना खेकडा ।